फर्द अहकाम

(नियम–26)

राजस्व वाद 173 / 2023
जीसीएमएस नंबर–2023 / 217
मुकेश बनाम गिरधारी वगैरह

तिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबालिया जवाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 22 रकबा 11.4607 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1 वादी संख्या 1 मुकेश व प्रतिवादी संख्या 2 दिनेश तरड के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा नोसरिया खेत खसरा नंबर 22 रकबा 11.4607 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

2 प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 से 4 कमश सरिता व शारदा के नाम मुतदाविया खेताय में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 4 का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

3 बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 4-10-23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश ...)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner